बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था०2/04–03/2012 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

रेनु लता,
निदेशक।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2011–12 का प्रारूप अनुदान/ विनियोग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–3454 के अन्तर्गत अधिकाय व्यय के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष–0605– लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत न्यादर्श सर्वेक्षण शीर्ष विपत्र कोड– C/3454022040605, मांग संख्या–35 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 80,800/– रूपये का अधिकाय व्यय दिखाया गया है। इस संबंध में नियमित रूप से वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है। वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 का बजट उपबंध आवंटित राशि एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त व्यय विवरणी के समीक्षोपरांत यह निदेश दिया गया कि उक्त शीर्ष के वर्ष 2011–12 का सभी कोषागार से प्राप्त विपत्र के आलोक में तैयार की गई व्यय विवरणी महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त कर इसकी मिलान किया जाय। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस कार्यालय की गलती से अधिकाय व्यय का मामला उत्पन्न हुआ है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 का सभी कोषागार से प्राप्त व्यय विवरणी की प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि अधिकाय व्यय के मामलों का निष्पादन किया जा सके।

विश्वासभाजन
ह०/
निदेशक

ज्ञापांक– 980 पटना, दिनांक 14.7.14

प्रतिलिपिः–

1. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश है कि निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

निदेशक

Raju/Est-2/Binod/07